

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, बुधवार दिनांक 22 फरवरी 2012—फाल्गुन 3, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. एफ-3-8-2011-एक-10.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 है.  
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.  
(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
  - “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012);
  - “प्राधिकृत अधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त कोई अधिकारी;
  - “संहिता” से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);
  - “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
  - “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय;
  - “भारतीय दण्ड संहिता” से अभिप्रेत है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45);

- (छ) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 2 के खण्ड (ग) अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अधीन यथा परिभाषित लोक सेवक या राज्य सरकार के मामलों के संबंध में सेवा कर रहे राज्य सरकार के या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी संगठन के कार्मिक और इसमें राज्य सरकार के मामलों के संबंध में सेवा कर रहे केन्द्र सरकार के समूह-क के कार्मिक सम्मिलित हैं;
- (ज) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
- (झ) "विशेष न्यायालय" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय; और
- (ञ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो क्रमशः संहिता या अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

3. पीठासीन न्यायाधीश के नामांकन के लिए प्रक्रिया.—(1) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के किसी सेवारत अधिकारी को विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी.

(2) अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय की अधिकारिता ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिश्चित की जाए.

(3) विशेष न्यायालय की बैठकें ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर होंगी जो कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिश्चित किए जाएं.

(4) पीठासीन न्यायाधीश की सहायता ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द द्वारा की जाएगी जिन्हें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, विनिश्चित करे.

4. पीठासीन न्यायाधीश की पदावधि.—पीठासीन न्यायाधीश की पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी किन्तु वह दूसरे पीठासीन न्यायाधीश के नामनिर्दिष्ट होने और उसके पदग्रहण करने तक पद पर बना रह सकेगा.

5. विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान और विचारण.—विशेष न्यायालय केवल ऐसे अपराधों का संज्ञान लेगा और उन मामलों का विचारण करेगा, जो धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष संस्थित किए जाएं अथवा उसकी उपधारा (2) अथवा धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएं.

6. घोषणा.—(1) प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की जाने वाली घोषणा प्ररूप एक में होगी.

(2) घोषणा, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और निम्नलिखित को संसूचित की जाएगी—

(एक) विशेष न्यायालय को;

(दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन उस विशेष न्यायाधीश के सम्बद्ध न्यायालय को, जिससे लंबित कार्यवाहियां अंतरित की गई हों;

(तीन) अन्वेषण अभिकरण अथवा अभिकरणों को;

(चार) प्रभावित व्यक्ति को;

(पांच) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन को; और

(छः) किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा समीचीन समझा जाए.

7. विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और उनकी फीस.—(1) विशेष न्यायालय में मामलों को संस्थित करने तथा उनका संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, एक अथवा एक से अधिक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकेंगे. विशेष लोक अभियोजकों की पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी.

(2) राज्य सरकार, विशेष लोक अभियोजक की सहायता के लिए, विशेष लोक अभियोजक की सिफारिश से एक अथवा एक से अधिक अतिरिक्त अथवा सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी.

(3) विशेष लोक अभियोजकों और अतिरिक्त अथवा सहायक लोक अभियोजकों को ऐसी फीस और भत्तों का ऐसी दरों पर भुगतान किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विनिश्चित की जाए.

8. प्राधिकृत अधिकारी.—(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग (केडर) के किसी ऐसे अधिकारी को, जो सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश हो या रह चुका हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगी.

(2) प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर कार्य करेगा जिन्हें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचित करें.

(3) प्राधिकृत अधिकारी की ऐसे कर्मचारिवृन्द द्वारा सहायता की जाएगी जिन्हें कि राज्य सरकार विनिश्चित करे.

(4) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो कि विहित किए जाएं, प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने तथा उक्त अधिकारी के समक्ष अधिनियम के अधीन धन तथा अन्य सम्पत्ति की जब्ती के मामलों का संचालन करने के लिए एक अथवा एक से अधिक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी. विशेष लोक अभियोजक की पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी.

9. प्राधिकृत अधिकारी का लोक सेवक होना.—प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक होगा और उसके समक्ष की कोई कार्यवाही संहिता की धारा 228 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी.

10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन किया जाना.—(1) अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नोटिस जारी करेगा.

(2) यदि प्रभावित व्यक्ति, नोटिस का जवाब देता है और या तो व्यक्तिशः या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो उसे धारा 13 के अधीन फाईल किए गए आवेदन की प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ दी जाएगी. प्राधिकृत अधिकारी, बचाव में अपने कथन फाईल करने के लिए 30 दिन का समय देगा. यदि प्राधिकृत अधिकारी के समाधानपरक ठीक और विधिमान्य कारणों से प्रभावित व्यक्ति अपने बचाव में कथन फाईल नहीं कर पाता है तो वह उसे 15 दिन का और समय दे सकेगा जिसके भीतर उसे बचाव में अपना कथन फाईल करना होगा.

(3) यदि प्रभावित व्यक्ति 30 दिन की विहित अवधि के भीतर अथवा 15 दिन की विस्तारित अवधि के भीतर अपने बचाव में कथन फाईल नहीं करता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसे बचाव में कुछ नहीं कहना है और तब प्राधिकृत अधिकारी अपने समक्ष संस्थित कार्यवाही पर न्याय निर्णयन करने के लिए स्वतंत्र होगा.

(4) यदि प्रभावित व्यक्ति अपने बचाव में कथन फाईल करता है तो उसकी एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कार्यवाही संचालित करने वाले विशेष लोक अभियोजक को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि उसे उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर मिल सकेगा।

(5) विशेष लोक अभियोजक को उस पर बचाव में किए गए कथन तामील किए जाने से अधिकतम 15 दिन की कालावधि के भीतर प्रत्युत्तर देना होगा।

(6) यदि विशेष लोक अभियोजक 15 दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर देने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी ठीक और विधिमान्य कारण से, प्रत्युत्तर फाईल करने के लिए 15 दिन का और समय दे सकेगा, जिसमें असफल रहने पर प्राधिकृत अधिकारी यह मानकर कार्यवाही के न्याय निर्णयन की कार्यवाही प्रारंभ कर देगा मानो कि अभियोजन को कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करना है।

(7) यदि प्रभावित व्यक्ति, सम्पत्ति के मूल्यांकन का विरोध करता है तो प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार के या केन्द्र सरकार की ऐसी एजेन्सी या किसी अन्य अधिकारी या तकनीकी रूप से अर्ह व्यक्ति की सहायता ले सकेगा जिसे वह योग्य और उचित समझे।

(8) प्राधिकृत अधिकारी, आवेदन, बचाव के बयान, विशेष लोक अभियोजक के प्रत्युत्तर तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कार्यवाही न्यायनिर्णित करेगा और नोटिस तामील किए जाने की तारीख से अधिकतम 6 मास की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय सुनाएगा।

(9) प्राधिकृत अधिकारी, अंतिम न्यायनिर्णयन के पश्चात्, अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही कर सकेगा।

(10) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन जब्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य जो प्राधिकृत अधिकारी, के पास जमा कर दिया गया हो, उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जाएगा।

(11) यदि प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित व्यक्ति का धन तथा सम्पत्ति जब्त करने का आदेश पारित करता है तो धन तथा सम्पत्ति, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास, जिसमें कि सम्पत्ति स्थित है, परिवर्द्ध रहेगी और उसे सौंप दी जाएगी, और जिला मजिस्ट्रेट, जहां तक साध्य हो, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन, मामले का अन्तिम विनिश्चय होने तक सम्पत्ति का जनहित में उपयोग कर सकेगा और यदि प्रभावित व्यक्ति को विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो जब्त किया गया धन और सम्पत्ति राज्य सरकार के आधिपत्य में रहेंगे।

11. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दिए जाने वाले आवेदन की विशिष्टियां और नोटिस का प्ररूप.—(1) प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष धारा 13 के अधीन फाईल किए जाने वाले आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

- (क) प्रभावित व्यक्ति का नाम;
- (ख) प्रभावित व्यक्ति का कार्यालयीन पदनाम और विस्तृत पता;
- (ग) प्रभावित व्यक्ति की आय के ज्ञात स्रोत की विशिष्टियां;
- (घ) प्रभावित व्यक्ति द्वारा संधारित आस्तियों की विशिष्टियां एवं उनका प्राक्कलित मूल्य ;
- (ङ) इन आस्तियों का कितना (भाग) आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक हैं ;
- (च) जब्ती का तरीका जो प्रार्थित है ;
- (छ) उन व्यक्तियों के नाम और विस्तृत पते, जिनके शपथ पत्र, मामले के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं, और
- (ज) समुचित मूल्य सहित धन अथवा सम्पत्ति की अवस्थिति।

(2) धारा 14 के अधीन जारी किए जाने वाला जब्ती का नोटिस प्ररूप दो में होगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाईल किए जाने वाले आवेदन में, प्ररूप तीन में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक कि वे अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय तथा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे.

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का लागू होना.—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंध विशेष न्यायालय और प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होंगे.

14. विशेष न्यायालय तथा प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षित पुलिस सहायता.—राज्य सरकार, विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी को, उनके द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित एवं लागू करने में यथा अपेक्षित पुलिस अधिकारियों की सहायता उपलब्ध कराएगी.

15. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रों का संधारण.—(1) प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर संधारित किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) प्ररूप तीन में विहित जब्ती के मामलों का रजिस्टर
- (ख) पावती रजिस्टर
- (ग) जावक रजिस्टर
- (घ) लेखा रजिस्टर

(2) प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अन्य रजिस्टर भी संधारित कर सकेगा जैसे कि उसके कार्यालय के कामकाज के संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएं.

प्ररूप एक  
(नियम 6 देखिए)

#### घोषणा

यतः, यह अभिकथित किया गया है कि श्री .....(नाम और पता) ने मध्यप्रदेश राज्य में..... कार्यालय (कार्यालय के नाम को उपदर्शित करें) में पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक .....सन् .....को मामले का अन्वेषण किया गया था;

और, यतः, अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि ..... (अभियुक्त का नाम) पर, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है;

और यतः, राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अपराधी पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

स्थान.....

तारीख .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग.

## प्ररूप-दो

[नियम 11(2) देखिए]

## जब्त का नोटिस

प्रति,

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

यतः, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए विशेष लोक अभियोजक द्वारा आपके विरुद्ध यह आवेदन (आवेदन की प्रति संलग्न की जाए) फाईल किया गया है कि आपकी आस्तियां आपकी आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक हैं; एतद्वारा आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक..... तक अपनी आय के स्रोतों के बारे में, उन आस्तियों के अर्जन के बारे में, जिनमें से या जिनके द्वारा आपने ऐसा धन/सम्पत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य, जिस पर आप निर्भर रहना चाहते हों तथा सुसंगत जानकारियां और विशिष्टियां प्रस्तुत करें तथा यह कारण दर्शाएं कि क्यों न ऐसा समस्त या कुछ धन/सम्पत्ति को अपराध द्वारा अर्जित घोषित कर दिया जाए और राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए.

स्थान.....

तारीख .....

(प्राधिकृत अधिकारी, मुहर सहित)

## प्ररूप-तीन

[नियम 11(3) देखिए]

## धारा 13(1) के अंतर्गत आवेदन की विशिष्टियां

1. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख.
2. आवेदन का अनुक्रमांक
3. प्रभावित व्यक्ति का नाम
4. प्रभावित व्यक्ति का पता
5. आय के ज्ञात स्रोतों की विशिष्टियां
6. आस्तियों के संचयन की विशिष्टियां और उसका प्राक्कलित मूल्य
7. आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक धन तथा संपत्ति की विशिष्टियां.
8. राज्य सरकार की ओर से परीक्षण किए गए साक्षियों के नाम.
9. राज्य सरकार की ओर से आश्रय लिए गए दस्तावेजों की विशिष्टियां
10. कोई अन्य सुसंगत जानकारी
11. प्रार्थना.

स्थान.....

तारीख .....

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

पता.....

No. F-3-8-2011-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012), the State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam, 2012.

(2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

- (a) “Act” means the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012);
- (b) “authorised officer” means an officer appointed in accordance with the provisions of the Act;
- (c) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- (d) “Form” means Forms appended to these rules;
- (e) “High Court” means the High Court of Madhya Pradesh;
- (f) “Indian Penal Code” means the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);
- (g) “public servant” means a public servant as defined in clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) or under section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860) or personnel of the State Government or any organization specified in clause (b) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988, serving in connection with the affairs of the State Government and it includes Group-A service of the Central Government serving in connection with the affairs of the State Government;
- (h) “section” means a section of the Act;
- (i) “Special Court” means a Special Court established under section 3 of the Act; and
- (j) “State Government” means the Government of Madhya Pradesh.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code or the Act.

**3. Procedure for nomination of Presiding Judge.**—

(1) The State Government shall nominate serving officer belonging to the Madhya Pradesh Higher Judicial Service in consultation with the High Court of Madhya Pradesh to be the Presiding Judge of the Special Court.

(2) The jurisdiction of a Special Court under the Act shall be such as may be decided by the State Government in consultation with the High Court.

(3) The Special Court shall have its sittings at such place or places as may be decided by the State Government in consultation with the High Court.

(4) The Presiding Judge shall be assisted by such officers and staff as may be decided by the State Government in consultation with the High Court.

**4. The tenure of office of the Presiding Judge.**— The term of Presiding Judge shall ordinarily be three years but he may continue in office till the nomination and joining of another Presiding Judge.

**5. Cognizance of offences and trial by the Special Court.**— The Special Court shall take cognizance only of such offences and try those cases which are instituted before it under sub-section (1) of Section 6 or transferred to it under sub-section (2) thereof or Section 10.

**6. Declaration.**— (1) The declaration to be made by the Principal Secretary / Secretary of General Administration Department under sub-section (1) of Section 5 shall be in Form I.

(2) The declaration shall be published in the official Gazette and communicated to —

- (i) the Special Court;
- (ii) the concerned Court of the Special Judge under the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) from which the pending proceedings stand transferred;
- (iii) the investigating agency or agencies;
- (iv) the person affected;
- (v) General Administration Department, Government of Madhya Pradesh; and
- (vi) any other authority as may be considered expedient by the State Government.

**7. Appointment of Special Public Prosecutors and their fees.**— (1) One or more Special Public Prosecutors may be appointed by the State Government to institute and conduct cases in the Special Court. The tenure of Special Public Prosecutors shall ordinarily be of three years.

(2) The State Government may appoint one or more Additional or Assistant Public Prosecutors on the recommendation of the Special Public Prosecutor to assist the Special Public Prosecutor.

(3) The Special Public Prosecutors and Additional or Assistant Public Prosecutors shall be paid such fees and allowances at such rates as may be decided by the State Government from time to time.

**8. Authorized Officer.**— (1) The State Government, in consultation with the High Court, shall nominate officer belonging to the cadre of the Madhya Pradesh Higher Judicial Service who is or has been a Sessions Judge or Additional Sessions Judge to act as the authorized officer for the purposes of the Act.

(2) The office of the authorised officer shall function at such place or places as the State Government may notify in consultation with the High Court.

(3) The authorised officer shall be assisted by such staff as may be decided by the State Government.

(4) The State Government may appoint one or more Special Public Prosecutors on such terms and conditions, as may be prescribed, to make applications to the authorised officer and conduct cases before the said officer for confiscation of the money and other property under the Act. The tenure of Special Public Prosecutor shall ordinarily be of three years.

**9. Authorised Officer to be public servant.**— The authorised officer shall be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860) and any proceeding before him shall be deemed to be a judicial proceeding for the purpose of Section 228 of the Code.

**10. Authorised officer to follow summary procedure.**— (1) On receipt of application under Section 13 read with Section 14 of the Act, the authorised officer shall immediately issue notice to the person affected.

(2) If the person affected responds to the notice and appears before the authorised officer either in person or through his legal representative, he shall be furnished with the copy of the application filed under



Section 13 alongwith all the enclosures. The authorised officer shall allow 30 days time to file his statement in defence. If for good and valid reasons, to the satisfaction of the authorised officer, the person affected does not file his statement of defence, he may allow a further period of 15 days within which he shall have to file his statement of defence.

(3) If the person affected does not file his statement of defence within the prescribed period of 30 days or within extended period of 15 days, it shall be presumed that he has no defence to put forward and then the authorised officer shall be free to adjudicate the proceeding instituted before him.

(4) If the person affected submits his statement in defence, a copy of the same shall be made available to the Special Public Prosecutor conducting the proceeding before the authorised officer who shall have the opportunity to reply to the same.

(5) The Special Public Prosecutor shall have to reply within a maximum period of 15 days from service of statement of defence upon him.

(6) If the Special Public Prosecutor fails to submit his reply within 15 days, the authorised officer may for good or valid reasons allow a further period of 15 days for filing the reply, failing which the authorised officer shall proceed to adjudicate the proceeding as if the prosecution has no reply to submit.

(7) If the person affected proposes to contest the valuation of the property, the authorised officer may take assistance of such State Government agency or Central Government agency or any other officer or person technically qualified as he may deem fit and proper.

(8) The authorised officer, after consideration of the application, statement of defence, reply of Special Public Prosecutor and report of experts, if any, shall adjudicate the proceeding and pronounce final verdict within a maximum period of 6 months from the date of the service of notice.

(9) The authorised officer, after final adjudication, may proceed to confiscate the property in accordance with Section 15 of the Act.

(10) The market price of the property confiscated is deposited with the authorized officer under the proviso to sub-section (3) of Section 15 of the Act, the same shall be deposited in a fixed deposit in any nationalized bank.

(11) If the authorised officer pass an order to confiscate the money and property of the person affected, then the money shall be impounded and property shall be handed over to the District Magistrate of the District wherein the property is situated, and the District Magistrate may, as far as practicable, utilize the property in public interest under the directions of State Government, till the final decision of the case, and if the person affected is convicted of the offence by the trial court, the confiscated money and property shall be in possession of the State Government.

**11. Particulars of the application made before the authorised officer and Form of notice.**— (1) The application to be filed under Section 13 before the authorised officer shall, inter alia, contain the following particulars, namely:—

- (a) name of the person affected;
- (b) official designation and detailed addresses of the person affected;
- (c) the particulars of the known source of income of the person affected;
- (d) particulars of assets that are maintained by the person affected and their estimated value;
- (e) how much of these assets are disproportionate to the known sources of income;
- (f) manner of confiscation prayed for;
- (g) name and detailed address of the persons whose affidavits are furnished in support of the case; and
- (h) location of the money or property with appropriate value.

(2) The notice of confiscation to be issued under section 14 shall be in Form II.

(3) The applications filed before the authorised officer shall contain the particulars as specified in Form III.

**12. Application of Code of Criminal Procedure, 1973.**— The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act, apply to the proceedings before the Special Court and the authorised officer.

**13. Application of Indian Evidence Act, 1872.**— The provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) shall apply to the proceedings before the Special Court and the authorised officer.

**14. Assistance of Police required by the Special Court and the authorised officer.**— The State Government shall make available the assistance of the Police Officers as may be required by the Special Court and the authorised officer in implementing and executing the orders passed by them.

**15. Maintenance of Registers by the Authorised Officer.**— (1) The following Registers may be maintained in the office of the authorised officer, namely:—

- (a) Register of confiscation cases prescribed in Form III.
- (b) Receipt register.
- (c) Dispatch register.
- (d) Accounts register.

(2) The authorised officer may also maintain such other Registers as may be considered necessary in the conduct of business of his office.

FORM I  
(see rule 6)  
DECLARATION

WHEREAS, It was alleged that Shri..... (name and address) while holding..... Office (indicate name of public office) in the State of Madhya Pradesh has committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Crime No.....of.....

AND, WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is a prima facie case of Commission of the offence by the ..... (name of the accused) who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND, WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011.

Place : .....

Date : .....

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh,

Principal Secretary/Secretary,  
Government of Madhya Pradesh,  
General Administration Department

FORM II  
[see rule 11 (2) ]  
NOTICE OF CONFISCATION

To

Name.....  
Designation.....  
Address.....  
.....

WHEREAS, an application has been filed against you by the Special Public Prosecutor being authorized by the State Government (copy of application to be attached) that your assets are disproportionate to your known source of income; you are hereby called upon to report by.....as to your sources of income, earning of assets, out of which or by means of which you have acquired such money/property the evidence on which you intended to rely upon and submit relevant informations and particulars and show cause as to why all or any of such money/property should not be declared to have been acquired by means of offence and confiscated to State Government.

Place : .....

Date : .....

(Authorised Officer with seal)

FORM III  
[see rule 11(3)]  
PARTICULARS OF APPLICATION UNDER SECTION 13(1)

1. Date of filing application : .....
2. Serial No. of application. : .....
3. Name of the person affected. : .....
4. Address of the person affected. : .....
5. Particulars of known sources of income. : .....
6. Particulars of accumulation of assets and estimated value thereof : .....
7. Particulars of money and properties disproportionate to the known source of income. : .....
8. Names of witnesses examined on behalf of State Government. : .....
9. Particulars of documents relied on behalf of the State Government. : .....
10. Any other relevant information. : .....
11. Prayer. : .....

Place : .....

Date : .....

Signature .....

Name of applicant .....

Address.....  
.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय शर्मा, उपसचिव